प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 16/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता तथा अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के खतरों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने हेतु आज प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ बैठक की।

2. प्राधिकरण ने टीएसपी को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ताओं द्वारा सेवा के अनुभव एवम सेवा की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। टीएसपी को कॉल म्यूटिंग और वन वे स्पीच के मुद्दे का विश्लेषण करने तथा प्राथमिकता पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा गया। 5जी नेटवर्क शुरू करते समय, टीएसपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में कम से कम गड़बड़ी आए या गिरावट हो।

3. टीएसपी को यह भी सूचित किया गया कि भादूविप्रा लंबी अवधि के नेटवर्क आउटेज की घटनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है। ऐसे आउटेज सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सभी दूरसंचार प्रदाताओं को कहा गया की किसी भी जिले या राज्य में इस तरह के आउटेज की सूचना भादूविप्रा को प्रदान की जाए। भादूविप्रा, जरूरत पड़ने पर, इस संबंध में उपयुक्त विनियमन लाने पर विचार कर सकता है।

4. भादूविप्रा ने टीएसपी को यह भी कहा है कि वे क्यूओएस बेंचमार्क के लिये ऑनलाइन डेटा संग्रह करने के लिये सिस्टम बनाये, जो उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट लाइसेंस सेवा क्षेत्र, राज्य स्तर या उससे भी कम ग्रैन्युलैरिटी के साथ प्रसंस्करण करने के लिये योग्य हो। यह टीएसपी द्वारा क्यूओएस प्रदर्शन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और इससे अनुपालन के बोझ में भी कमी आएगी।

5. 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किए जा रहे नेटवर्क के पैमाने और आकार को ध्यान में रखते हुए, और विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों द्वारा विकसित किए जा रहे महत्वपूर्ण उपयोग के मामलों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने टीएसपी को 24x7 और 360 डिग्री के आधार पर टीएसपी द्वारा आंतरिक क्यूओएस निगरानी के लिए सिस्टम लागू करने के लिए कहा है। क्यूओएस निगरानी और प्रबंधन के लिए मानक के अनुसार नेटवर्क सुविधाओं का दोहन और एआई/एमएल तकनीकों को अपनाने का भी सुझाव दिया गया था।

6. भादूविप्रा ने टीएसपी को दिनांक 16.02.2023 को जारी दो निर्देशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए भी कहा है। ये दो निर्देश, कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रिंसिपल एंटिटीज (पीई) के हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए एवम टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के संदेशों को भी रोकने के लिए, जारी किए गए हैं।

7. पंजीकृत टेलीमार्केटर्स या 10 अंकीय नंबरों से, अनचाही कॉलों को कम करने के लिए, प्रबंधन और निगरानी के लिए, उन्हें डीएलटी प्लेटफॉर्म पर लाएं।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा